उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

सख्या -क0नि0-2-६८४/ग्यारह -9(295)/07-उ.प्र. वैट नियमावली -08-आदेश-(115)-2014

लखनऊ::दिनांक २७ जून, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है ;

चूंकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हे तुरन्त कार्यवाही करनी आवश्यक हो गयी है, अतएव राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जाएगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
नियम 2 का संशोधन	2	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है , में नियम 2 में, उपनियम(1) में, -	
		(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
		स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
		विद्यमान खण्ड	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(ग) "कर निर्धारक प्राधिकारी" के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :- (एक) राज्य सरकार द्वारा किसी कारपोरेट मण्डल में कर निर्धारक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त एवं तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) (दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा या कमिश्नर द्वारा तैनात उप कमिश्नर या सहायक कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त एवं तैनात वाणिज्य कर अधिकारी (क) किसी मण्डल में कर निर्धारक प्राधिकारी	(ग) "कर निर्धारक प्राधिकारी" के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :- (एक)राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं तैनात संयुक्त कमिश्नर - (क) किसी कारपोरेट मण्डल में कर निर्धारण प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु ; **(ख) अधिनियम और उसके लिए बनायी गयी नियमावली के अधीन विभाग की सम्परीक्षा शाखा में कर सम्परीक्षा सम्पादित करने हेतु ;** (दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और राज्य

		के कृत्यों का निर्वहन अथवा शक्तियों का प्रयोग उस मण्डल में करने हेतु ; (ब) विभाग के किसी कार्यालय में, नियम 5 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत; धारा-45, 48, एवं 49 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु ;	सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा तैनात उप कमिश्नर या सहायक कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त एवं तैनात वाणिज्य कर अधिकारी - (क) किसी मण्डल में कर निर्धारक प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एव शक्तियों का प्रयोग उस मण्डल में करने हेतु ; (ख) विभाग के किसी कार्यालय में नियम 5 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत धारा 45, 48 एवं 49 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु ; **(ग) अधिनियम एवं उसके लिए बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार विभाग की सम्परीक्षा शाखा में कर सम्परीक्षा सम्पादित करने हेतु।**
		(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ङ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
		स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(ङ)"लेखाकार" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से इस निमित्त मान्यता प्राप्त लेखाकार सहयोजन का सदस्य	(ङ) "लेखाकार" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेट अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से इस निमित्त मान्यता प्राप्त लेखाकार सहयोजन का सदस्य **और इसके अन्तर्गत कम्पनी सेक्रेटरीज एक्ट, 1980 में यथा परिभाषित कम्पनी सेक्रेटरी तथा कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट अधिनियम , 1959 में यथा परिभाषित कास्ट एकाउन्टेन्ट सम्मिलित होंगे।**
नियम 20 का संशोधन	3	उक्त नियमावली में, नियम 20 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा , अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(ग) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम दिनांक में अवशेष अन्तिम रहतिया ,	(ग) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक में अवशेष

		व्यापार के आवर्त एवं कर के वार्षिक रिटर्न के साथ	अन्तिम रहतिया, आवर्त एवं कर के **समेकित विवरणों के अनुलग्नकों** के साथ।
नियम 21 का संशोधन	4	उक्त नियमावली में, नियम 21में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा , अर्थात :-	
		स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
		विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(2) उन वस्तुओं के संबंध में जिन्हें :- (क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रूप एवं दशा में पारेषित किया गया है , जिस रूप व दशा में खरीदा गया था ; (ख) किसी ऐसे करयोग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग में प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र {पी x आर/100} का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नहीं है :- जहां :- (एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है। (दो) "आर" कर की वह दर जो उन वस्तुओं पर लागू है जिन पर एक्ट के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम कर है अथवा अन्य मामलों में 4 प्रतिशत के बराबर होगा।	(2) उन वस्तुओं के संबंध में जिन्हें :- (क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रूप एवं दशा में पारेषित किया गया है , जिस रूप व दशा में खरीदा गया था ; (ख) किसी ऐसे करयोग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग में प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र {पी x आर/100} का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नहीं है :- जहां :- (एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है। (दो) **"आर" वह दर है जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में प्राविधानित है।**
नियम 22 का संशोधन	5	उक्त नियमावली में, नियम-22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा , अर्थात :-	
		स्तम्भ -1	**स्तम्भ-2**
		विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

		(3) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप, जिसे व्यापारी ने प्रान्त के बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया है, पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :- $\frac{\text{पी x आर}}{100}$ जिसमें प्रान्त के बाहर पारेषित किये गये माल की मात्रा एवं माप के संदर्भ में :- (एक) "पी" का तात्पर्य टैक्स इनवाइस अथवा खरीद के बीजक के अनुसार उस क्रय मूल्य से है जिस पर क्रेता से कर वसूल किया गया है और इस सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स की पूरी-पूरी धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। (दो) "आर" कर की वह दर है जो उन वस्तुओं पर लागू है जिन पर एक्ट के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम कर है अथवा अन्य मामलों में 4 प्रतिशत के बराबर होगा।	(3) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप, जिसे व्यापारी ने प्रान्त के बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया है, पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :- $\frac{\text{पी x आर}}{100}$ जिसमें प्रान्त के बाहर पारेषित किये गये माल की मात्रा एवं माप के संदर्भ में :- (एक) "पी" का तात्पर्य टैक्स इनवाइस अथवा खरीद के बीजक के अनुसार उस क्रय मूल्य से है जिस पर क्रेता से कर वसूल किया गया है और इस सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स की पूरी-पूरी धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। (दो) **"आर" वह दर है जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा-8 की उपधारा (1) में प्राविधानित है।**
नियम 32 का संशोधन	6	उक्त नियमावली में नियम 32 में, उपनियम (2) में नीचे स्तम्भ में दिया गया विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ -1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(घ) बैंक पास बुक	(घ) बैंक पासबुक, **जिसमें खाताधारक की लगी हुई फोटो को संबंधित बैंक की शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किया गया हो।**
नियम 32 क का संशोधन	7	(1) उक्त नियमावली में नियम 32 (क) में,- (क)उपनियम (2) में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा , अर्थात्:-	
		स्तम्भ -1 **वर्तमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**

		(घ) बैंक पास बुक	(घ) बैंक पासबुक, **जिसमें खाताधारक की लगी हुई फोटो को संबंधित बैंक की शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किया गया हो ।**
		(ख) नीचे स्तम्भ-1में दिया गया विद्यमान उपनियम (12) के स्थान पर स्तम्भ-2में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
		स्तम्भ -1	**स्तम्भ -2**
		विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(12) आकस्मिक व्यवहारी के पंजीयन एवं आवेदन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सकता है।	(12) कमिश्नर वाणिज्य कर समय-समय पर आकस्मिक व्यवहारी द्वारा **पंजीयन प्रार्थनापत्र के आन-लाइन प्रस्तुत करने की कार्य प्रणाली** तथा इस नियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र तथा पंजीयन से संबंधित अन्य मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के अनुपालन से संबंधित निर्देश जारी कर सकते है।
नियम 37 का संशोधन	8	उक्त नियमावली में, नियम-37 में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया विद्यमान उपनियम-2 के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-	
		स्तम्भ -1	**स्तम्भ -2**
		विद्यमान उपनियम	**एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
		(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यवहारी अपने विकल्प पर धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मांगी गयी जमानत निम्नलिखित में से किसी स्वरुप में दे सकता है :- (क) नकद धनराशि जमा करके ; या (ख) किसी शेडयूल्ड बैंक की बैंक गारण्टी देकर : या (ग) सावधि जमा प्रमाण पत्र बंधक रखकर ;या (घ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या भारतीय पोस्टल सेवा के द्वारा जारी कोई अन्य बचत प्रमाण पत्र बंधक रखकर।	(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यवहारी, अपने विकल्प पर धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मांगी गयी जमानत निम्नलिखित में से किसी स्वरुप में दे सकता है :- (क) नकद धनराशि जमा करके ; या (ख) किसी शेडयूल्ड बैंक की बैंक गारण्टी देकर : या (ग) सावधि जमा प्रमाण पत्र बंधक रखकर ;या (घ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या भारतीय पोस्टल सेवा के द्वारा जारी कोई अन्य बचत प्रमाण पत्र बंधक रखकर। **(2-क) इस नियम के उद्देश्य के लिए समय-समय पर कमिश्नर वाणिज्य कर बन्धक के किसी अन्य तरीके, जैसा कि वह उचित समझें, विचार कर सकते है।**

<table>
<tr><td>नियम 42 का संशोधन</td><td>9</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में नियम -42 में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा , आर्थात :-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ -1</td><td>स्तम्भ -2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>विद्यमान उपनियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(1) धारा-21 की उपधारा (17) में निर्दिष्ट सम्परीक्षा आख्या (आडिट रिपोर्ट) उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यवहारी द्वारा अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 24 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर एवं आवर्त की वार्षिक विवरणी सहित फार्म-तेईस में प्रस्तुत की जायेगी।</td><td>(1) धारा-21 की उपधारा (17) में निर्दिष्ट सम्परीक्षा आख्या (आडिट रिपोर्ट) उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यवहारी द्वारा अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 24 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट आवर्त एवं कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नकों सहित फार्म-तेईस में प्रस्तुत की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 45 का संशोधन</td><td>10</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में, नियम 45 में, -
(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, आर्थात :-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ -1</td><td>स्तम्भ -2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>विद्यमान उपनियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(7)कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) अथवा उपनियम (10) के अधीन दाखिल की गयी कर की विवरणी के अतिरिक्त 31 अक्टूबर या उसके पूर्व अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त एवं कर की वार्षिक विवरणी निम्न प्रकार प्रस्तुत करेगा-
(क) प्रान्तीय खरीद बिक्री के मामले में प्रपत्र XXVI-A में .
(ख) वर्क्स कान्ट्रेक्ट के मामले में प्रपत्र XXVI-B में
(ग) उपर्युक्त क एवं ख के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रपत्र XXVI में.
कर निर्धारण वर्ष की कार्यवाही के लिए सभी घोषित प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सहित जिसके आधार पर छूट अथवा रियायत का दावा किया जा रहा है अथवा जिससे संव्यवहार का स्वभाव की जांच होनी, साथ में प्रपत्र के अनुलग्नक को दाखिल किया जायेगा ;
प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2009 तक प्रस्तुत</td><td>(7) कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी वित्तीय वर्ष की अपनी अंतिम विवरणी के साथ परन्तु अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर के पूर्व ऐसे वित्तीय वर्ष के आवर्त एवं कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नकों को कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा -
(क) नीचे खण्ड(ख) तथा खण्ड(ग) में निर्दिष्ट व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी के मामले में फार्म 52 में;
(ख) केवल प्रान्तीय खरीद बिक्री करने वाले व्यवहारी फार्म 52-क में ;
(ग) वर्क्स कान्ट्रैक्ट या ट्रांसफर आफ राइट टू यूज एनी गुड्स या दोनों जैसी भी स्थिति हो निष्पादित करने वाला व्यवहारी फार्म 52-ख में ;
पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए सभी</td></tr>
</table>

		किया जा सकता है : अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण अधिकारी उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 90 दिन से अनधिक समयावधि इस उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या राज्य सरकार उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए सामान्य आदेश द्वारा वार्षिक विवरणी जमा करने की अवधि इस उपनियम में निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है।	घोषित प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सहित, जिसके आधार पर छूट अथवा रियायत का दावा किया जा रहा है अथवा जिससे संव्यवहार की प्रकृति निर्धारित हो साथ में वर्णित अनुलग्नकों को प्रासंगिक रूप में दाखिल किया जायेगा ; प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण अधिकारी उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे **समेकित विवरणों के अनुलग्नकों** को दाखिल करने हेतु नब्बे दिन से अनधिक समयावधि इस उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है ; अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या राज्य सरकार उचित कारणों को अभिलिखित करते हुए सामान्य आदेश द्वारा **समेकित विवरणों के अनुलग्नकों** को जमा करने की अवधि इस उपनियम में निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते है।
		(ख) उपनियम (10) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड-(क) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ -1	**स्तम्भ -2**
		विद्यमान खण्ड	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(क) प्रत्येक व्यवहारी जिस पर धारा-6 की उपधारा (1) का प्रथम उपबंध लागू होता हो, वह प्रत्येक त्रैमासिक कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उपनियम (7) के अन्तर्गत निर्दिष्ट केवल वार्षिक विवरणी ही प्रस्तुत करेगा।	(क) प्रत्येक व्यवहारी जिस पर धारा-6 की उपधारा (1) का प्रथम उपबंध लागू होता हो, वह प्रत्येक त्रैमासिक कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उपनियम (7) के अन्तर्गत निर्दिष्ट केवल **समेकित विवरणों के अनुलग्नक** ही प्रस्तुत करेगा ;

<table>
<tr><td>नियम 50 का का संशोधन</td><td>11</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में, नियम 50 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ -1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>विद्यमान उपनियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2) जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति (इस नियम में जिसे आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा) को कोई धनराशि वापस की जानी है, तो उसे किसी बैंक जो कर, शुल्क या अर्थदण्ड या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य संदेय धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, की स्थानीय शाखा का नाम और पता देना होगा और वापसी देय हो जाने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर वह बैंक की ऐसी स्थानीय शाखा में अपना बैंक खाता संख्या कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा :
प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राप्तकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा का नाम और पता और बैंक की स्थानीय शाखा में अपनी बैंक खाता संख्या पहले से कर निर्धारक प्राधिकारी को दिया है तो ऐसे विवरण का पुन: दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।</td><td>(2) जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति (इस नियम में जिसे आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा) को कोई धनराशि वापस की जानी है, तो उसे किसी बैंक जो कर, शुल्क या अर्थदण्ड या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य संदेय धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, की स्थानीय शाखा या सी0बी0एस0 (कोर बैंकिंग सिस्टम) शाखा का नाम और पता देना होगा और वापसी देय हो जाने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर वह बैंक की ऐसी स्थानीय शाखा में अपना बैंक खाता संख्या कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा :
प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राप्तकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा या सी0बी0एस0 शाखा का नाम और पता और बैंक की स्थानीय शाखा या सी0बी0एस0 शाखा में अपना बैंक खाता संख्या पहले से कर निर्धारक प्राधिकारी को दिया है तो ऐसे विवरण का पुन: दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>नियम 62 का संशोधन</td><td>12</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में, नियम 62 में, उपनियम (4) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड-(ख) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ -1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>विद्यमान खण्ड</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ख) अधिकरण द्वारा , जब तक कि वह धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन उसे खारिज करने का निश्चय न करे।</td><td>(ख) अधिकरण द्वारा , जब तक कि वह धारा 57 की उपधारा (7) के अधीन उसे खारिज करने का निश्चय न करे।</td></tr>
<tr><td>कतिपय फार्मों का निकाला</td><td>13</td><td colspan="2">फार्म संख्या छब्बीस, छब्बीस-क एवं छब्बीस-ख को निकाल दिया जायेगा।</td></tr>
</table>

जाना		
नये फार्मों का बढ़ाया जाना	14	फार्म इक्याबन के पश्चात निम्नलिखित फार्म बढा दिये जायेंगे , अर्थात :-

फार्म-बावन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
(उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 45 का उपनियम (7) देखें)
समेकित विवरण के अनुलग्नक

1-	कर निर्धारण वर्ष	
2-	कर निर्धारण अवधि	से
3-	व्यवहारी / फर्म का नाम एवं पता	
4-	शाखा / डिपो का नाम एवं पता	
5-	करदाता की पहचान संख्या (टिन)	

अनुलग्नक-1

वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त घोषणा पत्र या प्रमाणपत्र का वार्षिक विवरण

क्रमसं0	फार्म का नाम	आरम्भिक रहतिया	प्राप्त	प्रयुक्त		खोया/नष्ट	वापस	अन्तिम रहतिया
		संख्या.	संख्या	संख्या	अच्छादित धनराशि	संख्या	कुल संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
i	21							
ii	31							
iii	38							
iv	सी							
v	एफ							
vi	एच							
vii	E-I							
viii	E-II							
ix.	घ							
x	आई							
xi	जे							
xii	अन्य कोई फार्म							

नोट :- अनुलग्नक-(क) (ख), (ग), (घ) और (च) जो भी लागू हो - में फार्मों के विस्तृत विवरण को संलग्न करें।

अनुलग्नक - 2

खरीद का वार्षिक विवरण [रुपए में]

क	वैट वस्तुएं		
	i.	निजी खाते में टैक्स बीजक के विरुद्ध खरीद	-
	ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से निजी खाते में खरीद	-
	iii.	करमुक्त वस्तुओं की खरीद	-
	iv.	उ.प्र. के बाहर से खरीद	-
	v.	निर्देष्टा के खाते में खरीद	-
		(क) प्रान्तीय निर्देष्टा से	
		(क-i) टैक्स इन्वायस के विरुद्ध की गयी खरीद	
		(क-ii) अन्य खरीद	
		(ख) यू.पी. बाहर निर्देष्टा से	
	vi.	अन्य कोई खरीद	-
		योग :	-
	vii.	क्रय वापसी घटायें अनुलग्नक-I	-
	viii.	शुद्ध क्रय धनराशि	-
ख-	नान वैट गुड्स		
	i.	पंजीकृत व्यवहारी से खरीद	-
	ii.	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-
	iii.	करमुक्त माल की खरीद	-
	iv.	उ.प्र. के बाहर से खरीद	-
	v.	निर्देष्टा के खाते में खरीद -	-
		(क) प्रान्तीय निर्देष्टा	
		(ख) यू.पी.बाहर निर्देष्टा	
	vi.	अन्य कोई खरीद	-
		योग :	-
	vii.	क्रय वापसी घटायें अनुलग्नक: ए-1	
	viii.	शुद्ध क्रय धनराशि	
		सकल योग :	-
ग-	प्रान्त के अन्दर से कैपीटल गुड्स की खरीद		
	i	टैक्स बीजक के विरुद्ध खरीद	-
	ii	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से खरीद	-
		योग :	-

घ- कमीशन एजेन्ट के माध्यम से खरीद, जिसके लिए फार्म-VI प्राप्त हुआ

क्रमसं0	प्रमाण पत्र संख्या	तिथि	क्रय माल का मूल्य	देयकर की राशि
i				
ii				
iii				
	योग :			

*अनुलग्नक ए-1 की सूचना फार्म-चौबीस के साथ विहित प्रोफार्मा में दी जायगी।

ङ-	प्रान्त बाहर से घोषणापत्र / प्रमाण पत्र के विरुद्ध क्रय / प्राप्त माल का मूल्य	
	(क) फार्म सी / फार्म-एच / फार्म आई के विरुद्ध खरीद	
	(ख) फार्म एफ के विरुद्ध प्रान्त बाहर से प्राप्त माल का मूल्य	-
	योग:	-

नोट : 1-यदि मासिक / त्रैमासिक कर विवरणी में प्रदर्शित आंकड़ो से खरीद के विवरण में भिन्नता हो तो कारण का उल्लेख किया जाये।

2- फार्म-सी / फार्म-एच / फार्म-आई के विरुद्ध खरीद के विवरण दिए जाये।

3- फार्म-एफ के विरुद्ध प्राप्त माल के विवरण दिए जावें।

अनुलग्नक -3

बिक्री का वार्षिक विवरण :

(क) वैट गुड्स

i.	निजी खाते में बिक्री का आवर्त टैक्स बीजक के विरुद्ध	-
ii.	कालम i से भिन्न निजी खाते में बिक्री का आवर्त	-
iii.	करमुक्त माल की बिक्री का आवर्त	-
iv.	निदेष्टा के खाते में बिक्री	
	(क) प्रान्तीय निर्देष्टा	
	(क-i) टैक्स बीजक के विरुद्ध बिक्री	
	(क-ii) अन्य बिक्री	
	(b) यू.पी. बाहर निर्देष्टा	
v.	अन्तरप्रान्तीय बिक्री फार्म -सी से	-
v(क)	अन्तरप्रान्तीय बिक्री फार्म-सी के विरुद्ध जिसके फार्म-सी संलग्न किए गए	
v(ख)	अन्तरप्रान्तीय बिक्री जिसका फार्म-सी के विरुद्ध दावा किया गया परन्तु फार्म-सी संलग्न नहीं किये गये	
vi.	अन्तरप्रान्तीय बिक्री बिना फार्म-सी के	-
vii.	भारत की सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में निर्यात के प्रमाण सहित बिक्री	-
viii	भारत की सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में बिना निर्यात के प्रमाण के बिक्री	
ix.	भारत की सीमा के बाहर से आयात के दौरान बिक्री	-
x.	प्रान्त के बाहर की बिक्री	-
xi	पारेषण बिक्री / स्टाक ट्रान्सफर	
xi(क)	पारेषण बिक्री / स्टाक ट्रांसफर , जिसके फार्म-एफ संलग्न किये गये	
xi(ख)	पारेषण बिक्री / स्टाक ट्रांसफर , जिसके फार्म-एफ संलग्न नहीं किये गये	
xii	बिना फार्म-एफ के पारेषण बिक्री / स्टाक ट्रांसफर	
xiii	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत इन-ट्रांजिट बिक्री का आवर्त	
xiii(क)	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत इन-ट्रांजिट बिक्री का आवर्त जिसके फार्म सी / ई-I / ई -II संलग्न किये गये	
xiii(ख)	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत इन-ट्रांजिट बिक्री का आवर्त जिसके फार्म सी / ई-I / ई -II संलग्न नहीं किये गये	

xiv	फार्म-एच के विरुद्ध बिक्री	
xiv(क)	फार्म-एच के विरुद्ध बिक्री जिसके फार्म एच संलग्न किये गये	
xiv(ख)	फार्म-एच के विरुद्ध बिक्री जिसके फार्म एच संलग्न नहीं किये गये	
xv	फार्म- I के विरुद्ध अन्तरप्रान्तीय बिक्री	
xv(क)	फार्म- I के विरुद्ध अन्तरप्रान्तीय बिक्री जिसके फार्म -I संलग्न किये गये	
xv(ख)	फार्म-I के विरुद्ध बिक्री जिसके फार्म- I संलग्न नहीं किये गये	
xvi	हाई सीज बिक्री का आवर्त	
xvii.	फार्म-एफ से उ.प्र. के बाहर के जाबवर्क का आवर्त	
xviii	बिना फार्म-एफ से उ.प्र. के बाहर के जाबवर्क का आवर्त	
xix	सकम् सौदा के लिए उ.प्र. केबाहर माल के स्वामित्व के अन्तरण का आवर्त	
xx	उ.प्र. के बाहर के व्यक्तियों से माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि का आवर्त	
xxi	अन्य कोई बिक्री	
	योग :	
	घटाईये - बिक्री वापसी (अनुलग्नक बी-I)	
	बिक्री की शुद्ध धनराशि	
(ख)	नान वैट गुड्स)	
(i)	करयोग्य बिक्री का आवर्त	
(ii)	करमुक्त बिक्री का आवर्त	
(iii)	टैक्सपेड बिक्री का आवर्त	
(iv)	निर्देष्टा के खाते में बिक्री	
	(क) प्रान्तीय निर्देष्टा	
	(ख) यू.पी. बाहर निर्देष्टा	
(v)	अन्य कोई बिक्री	
	योग:	
	अन्तर प्रान्तीय करयोग्य बिक्री का आवर्त	
	अन्तर प्रान्तीय करमुक्त बिक्री का आवर्त	
	अन्य कोई केन्द्रीय बिक्री	
vi	घटाईये-बिक्री वापसी (अनुलग्नक बी-I)	
vii	शुद्ध बिक्री की धनराशि	
	सकल योग :	

(ग)कमीशन एजेन्ट के माध्यम से की गयी बिक्री जिसके लिए फार्म -V में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

क्र.सं.	प्रमाण पत्र संख्या	तिथि	विक्रीत वस्तु का मूल्य	कर की चार्ज की गयी राशि	
i					
ii.					
iii.					
			योग		

नोट : मासिक / त्रैमासिक विवरणी में प्रदर्शित आंकड़ों से उपर्युक्त आंकड़ों में यदि भिन्नता है, तो कारण दिया जाये

* अनुलग्नक बी–1 की सूचना फार्म–चौबीस के साथ विहित प्रोफार्मा में दी जायेगी।

अनुलग्नक-4

खरीद पर कर का समेकित आगणन

क्रमसं0	कर की दर	वस्तु	खरीद का आवर्त	कर
	वैट गुड्स			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
	अतिरिक्त कर			
iv.	1%			
v.	1.5%			
vi.	यदि अन्य कर की दर है, तो उल्लेख करें।			
		योग :		
	नान वैट गुड्स			
vii.				
viii.				
ix.				
x.				
xi.				
		योग :		
		सकल योग :		

अनुलग्नक - 5

बिक्री पर कर का समेकित आंगणन (प्रान्तीय)

क्रमसं0	कर की दर	वस्तु	बिक्री की धनराशि	कर
	वैट गुड्स			
i.	1%			
ii.	4%			
iii.	12.5%			
	अतिरिक्त कर			
iv.	1%			
v.	1.5%			
vi.	खरीद कर की दर अन्य है, तो उल्लेख करें।			
		योग :		
	नान वैट गुड्स			
vii.				
viii.				
ix.				

x.				
xi.				
		योग :		
		वैट तथा नानवैट का सकल योग :		

बिक्री पर कर का समेकित आंगणन (अन्तरप्रान्तीय)

क्र(सं)	विवरण	कर की दर	बिक्री की धनराशि	कर
1	फार्म- सी से आच्छादित अन्तरप्रान्तीय बिक्री			
2	फार्म-सी से अनाच्छादित अन्तरप्रान्तीय बिक्री 1 2 3 4			
3	अन्य करयोग्य अन्तरप्रान्तीय बिक्री 1 2 3 4			

नोट- 1: प्राप्त फार्म इकट्ठीस की सूची , ऐसे फार्म की प्रति सहित, संलग्न करें।

2 : फार्म-डी या अन्य कोई फार्म या प्रमाण पत्र , जिसके आधार पर किसी प्रकार की कर की छूट या रियायत का दावा किया गया है, की सूची एवं ऐसे फार्म या प्रमाण पत्र सहित संलग्न किया जाए।

अनुलग्नक - 6

स्टाक का विवरण

क्र(सं)	वस्तु	आरम्भिक रहतिया (रुपये में)	अन्तिम रहतिया (रुपये में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

नोट -1 : प्रान्तीय खरीद एवं उ.प्र. के बाहर से खरीदे माल के स्टाक का विवरण पृथक-पृथक घोषित किया जाये।

2 : लागू कर की दर के हिसाब से वस्तुओं के संकलित विवरण एवं करमुक्त वस्तुओं के विवरण दिए जाये।

3 : निर्माता द्वारा कच्चे माल , खपत स्टोर आदि तथा तैयार माल के स्टाक का विवरण अलग-अलग घोषित किया जाये।

अनुलग्नक - 7

इनपुट टैक्स क्रेडिट का समेकित विवरण

क्र(सं)	विवरण		धनराशि
i-	गत कर निर्धारण वर्ष से लाई गई आई.टी.सी.		
ii-	कर निर्धारण वर्ष में अर्जित आई.टी.सी.	(क) आई.टी.सी. की कुल धनराशि (i) नियम 24(क) के अनुसार पूंजी माल पर आई.टी.सी. (ii) पूंजी माल से भिन्न अन्य माल पर आई.टी.सी.	
		(ख) उत्क्रमित आई.टी.सी. की धनराशि	
		(ग) शुद्ध आई.टी.सी. की धनराशि (क-ख)	
iii-	सकल अनुमन्य आई.टी.सी. (i+ii)		
iv-	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में कर देय के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
v-	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में कर देय के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
vi-	उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
vii-	अन्य किसी बकाया के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
viii-	धारा-41 के अन्तर्गत वापस आई0टी0सी0, यदि कोई हो		
ix-	धारा-15 (धारा 41 के अतिरिक्त) के अन्तर्गत वापस आई.टी.सी.		
x-	योग (iv+v+vi+vii+viii+ix)		
xi-	अवशेष आई.टी.सी. (iii- x)		
xii-	अगले वर्ष के लिए अग्रेनित आई.टी.सी.		

अनुलग्नक -8

कोषागार / बैंक में कर अवधि के विवरण के साथ जमा का समेकित विवरण

क्रमांक	माह	धनराशि	ट्रेजरी चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					
	योग					

फार्म XXXIII-A में समायोजन का समेकित विवरण

क्रमांक	माह जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	फॉर्म जिससे समायोजन किया गया	फार्म XXXIII-A की आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5

फार्म XXXI में स्रोत पर की गयी कटौती का समेकित विवरण

क्रमांक	संविदा का नाम एवं पता	स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि	फार्म XXXI का क्रमांक

अग्रसारित समेकित विवरण

1	वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमन्य करदेयता से जमा अधिक जमा कर की धनराशि	
2	अगले वर्ष को अग्रेनित कुल आई.टी.सी. की धनराशि	
3	विचाराधीन वित्तीय वर्ष तक क्रय किए गए पूंजी माल पर नियम 24(क) के अधीन विभिन्न अगले वर्षों में दावा की जाने वाली आई. टी. सी. की धनराशि	

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रस्थिति .... (अर्थात- स्वामी, निदेशक, साझीदार जैसा कि नियम 32 (6) में दिया गया है), एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिए गए विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक : साझीदार/ स्वामी / कर्ता आदि का नाम और हस्ताक्षर

स्थान : प्रस्थिति

व्यवहारी का नाम :

नोट : 1- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32(6) में अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपर्युक्त विवरण हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2- यदि प्रारूप या तालिका में उपलब्ध जगह पर्याप्त न हो तो सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग शीट पर प्रस्तुत की जा सकती है।

अनुलग्नक (क) वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गये प्रान्तीय फार्म 38 / डी / ई /एफ का विवरण जो भी लागू हो :

क्र(सं0	विक्रेता/प्रेषक का नाम	प्रपत्र 38 / प्रपत्र डी / ई / एफ की संख्या	बीलक / बिल / चालान की संख्या एवं दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6

अनुलग्नक - (ख) वित्तीय वर्ष मे उपयोग किए गये केन्द्रीय प्रपत्र -सी / एफ/ एच / आई का विवरण , जो लागू हों,

क्र(सं0	विक्रेता/प्रेषक का नाम	प्रपत्र -सी / एफ / एच / आई की संख्या	बीलक / बिल / चालान की संख्या एवं दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6

अनुलग्नक- (ग) उपयोग किये गये प्रान्तीय प्रपत्र - XXI & केन्द्रीय प्रपत्र - E-I and E-II एवं जे आदि, का विवरण जो लागू हो

क्र(सं0	क्रेता का नाम	यथास्थिति क्रेता का टिन	प्रपत्र प्रपत्र - XXI की संख्या	प्रपत्र E-1 , E-II आदि , फार्म-J की संख्या	बीलक / बिल / चालान की संख्या एवं दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक (घ) कर निर्धारण वर्ष में उपयोग मे लाए गये प्रमाण पत्र XXXI का विवरण

क्र(सं0	प्रमाण पत्र XXXI संख्या	ठेकेदार /विक्रेता का नाम व पता	ठेकेदार/विक्रेता का टिन	अदा की गयी सकल धनराशि	स्रोत पर की गयी कटौती	स्रोत पर की गयी कटौती मे से जमा की धनराशि	बैंक/कोषागार में जमा करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक (ई) प्रयुक्त किये गये ओ0सी0 स्टैम्प का विवरण

क्र0सं0.	क्रेता का नाम	क्रेता का टिन	ओ0सी0/स्टैम्प नं0	संबंधित फार्म की संख्या, यदि कोई उपयोग में लाया गया हो	बिल/चालान संख्या एवं दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

फार्म- बावन- क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 45 का उपनियम (7) देखें)

समेकित विवरण के अनुलग्नक

(केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर खरीद बिक्री करने वाले व्यवहारियों के लिए)

1-	कर निर्धारण वर्ष	
2-	कर निर्धारण अवधि	से
3-	व्यवहारी का नाम एवं पता	
4-	शाखाओं / डिपो के नाम एवं उनके पते	
5-	करदाता की पहचान संख्या [टिन]	

अनुलग्नक-1

खरीद के वार्षिक विवरण (रुपये में)

क्रमांक 0	खरीद के विवरण	वैट गुड्स (रुपये में.)	नान वैट गुड्स (रुपये में.)	करमुक्त माल (रुपये में.)	योग (रुपये में.)
i-	प्रान्त अन्दर के पंजीकृत व्यवहारी से				
ii-	प्रान्त अन्दर में पंजीकृत से भिन्न व्यक्ति से				
iii-	किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई अन्य खरीद				

नोट : मासिक / त्रैमासिक विवरणी में घोषित से भिन्न विवरण होने पर कारण दिये जाये।

अनुलग्नक - 2

बिक्री का वार्षिक विवरण (रुपए में)

क्र.स.	बिक्री के विवरण	वैट गुड्स (रुपये में.)	नान वैट गुड्स (रुपये में.)	करमुक्त माल (रुपये में.)	योग (रुपये में.)
i-	प्रान्त अन्दर के पंजीकृत व्यवहारी को				
ii-	प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति को				
iii-	प्रान्त के अन्दर अन्य कोई बिक्री				

नोट : मासिक / त्रैमासिक विवरणी में दिए गये विवरण से भिन्न विवरण होने पर कारण प्रस्तुत किये जाएं।

अनुलग्नक 3

स्टाक का विवरण

क्र0सं0	वस्तु	आरम्भिक रहतिया (रुपये में)	अन्तिम रहतिया (रुपये में)
1			
2			
3			
4			

नोट- कर की लागू दर के हिसाब से एवं करमुक्त वस्तुओं के समेकित विवरण दिए जाये।

अनुलग्नक-4

पंजीकृत व्यवहारियों से भिन्न व्यक्तियों से की गयी खरीद पर देय कर का समेकित आंगणन

क्र0सं0	वस्तु का नाम	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
	योग :			

अनुलग्नक'5

करयोग्य बिक्री तथा बिक्री पर देय कर का समेकित आंगणन

क्र0सं0	वस्तु का नाम	नान वैट गुड्स की बिक्री का आवर्त	वैट गुड्स की बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
अन्य					
	योग				

अनुलग्नक-6

आई0टी0सी0 का समेकित विवरण

क्र0सं0	विवरण		धनराशि
i-	गत वर्ष से अग्रेनित आई.टी.सी.		
ii-	कर निर्धारण वर्ष के दौरान अर्जित की गयी आई.टी.सी.	(क) आई.टी.सी.की कुल धनराशि	
		(ख) उत्क्रमित आई.टी.सी.की राशि	
		(ग) अर्जित आई.टी.सी.की शुद्ध राशि (क-ख)	
iii-	सकल अनुमन्य आई.टी.सी. (i + ii)		
iv-	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर में चालू वर्ष में देय कर के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
v-	अ0प्र0व्यापार कर में बकाया के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
vi-	किन्ही अन्य देयों के विरुद्ध समायोजित आई.टी.सी.		
vii-	धारा 15 के अधीन (धारा 41 के अतिरिक्त) वापस आई.टी.सी.		
viii	योग (iv+ v + vi + vii)		
ix-	अवशेष आई.टी.सी. (iii-viii)		
x-	अगले वर्ष के लिए अग्रेनित आई.टी.सी.		

अनुलग्नक-7

कोषागार / बैंक में कर अवधि के विवरण के साथ जमा का समेकित विवरण

क्र0सं0	माह	धनराशि	ट्रेजरी चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					

8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					
	योग					

(छ) फार्म XXXIII-A में समायोजन का समेकित विवरण

क्र0सं0	माह जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	वर्ष जिससे समायोजन किया गया
1	2	3	4

(ग) वर्ष के दौरान जमा कुल कर

क्र0सं0	कोषागार/बैंक में जमा	समायोजन द्वारा जमा	योग (2+3)
1	2	3	4

अनुलग्नक-8

शुद्ध देय कर का आगणन

देयकर	आई0टी0सी0 का समायोजन	शुद्ध देय कर	जमा / समायोजित कर	मांग / वापसी
1	2	3	4	5

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... प्रास्थिति ....(अर्थात- स्वामी, निदेशक, साझीदार जैसा कि नियम 32 (6) में दिया गया है), एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिए गए विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

साझेदार/ स्वामी / कर्ता आदि का नाम और हस्ताक्षर

प्रास्थिति

व्यवहारी का नाम :

नोट : 1- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32(6) में अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपर्युक्त विवरण हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2- यदि किसी प्रारुप या तालिका में उपलब्ध जगह पर्याप्त न हो तो सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग शीट पर प्रस्तुत की जा सकती है।

फार्म- बावन- ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 45 का उपनियम (7) देखें)

समेकित विवरण के अनुलग्नक

(सकर्म संविदा / माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण हेतु)

1-	कर निर्धारण वर्ष	
2-	कर निर्धारण अवधि	से
3-	व्यवहारी / फर्म का नाम एवं पता	
4-	शाखा/डिपो का नाम एवं पता	
5-	करदाता की पहचान नम्बर (टिन)	

अनुलग्नक-1

वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का वार्षिक विवरण

क्र0सं0	फार्म का नाम	आरम्भिक रहतिया संख्या	प्राप्त संख्या	प्रयुक्त संख्या	प्रयुक्त आच्छादित धनराशि	खोया / नष्ट संख्या	अभ्यर्पण कुल संख्या	अन्तिम रहतिया कुल संख्या
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	6	7	8
1	31							
2	38							
3	सी							
4	एफ							
5	अन्य कोई फार्म							

नोट : अनुलग्नक (क) , (ख) ,(ग) आदि जो भी लागू है, में फार्मो के विस्तृत विवरण को संलग्न किया जाए।

अनुलग्नक-2

खरीद का वार्षिक विवरण :

क्र0सं0	खरीद का विवरण	वैटगुड्स (रुपये में)	नान वैटगुड्स (रुपये में)	करमुक्त माल (रुपये में)	योग (रुपये में)
i-	प्रान्त अन्दर के पंजीकृत व्यवहारी से				
ii-	प्रान्त अन्दर के पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से				
iii-	भारत के बाहर से आयात के क्रम में				
iv-	माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के दौरान				
v-	अन्तरप्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान				
vi-	अन्य किसी उद्देश्य हेतु अन्य खरीद				

नोट : मासिक/त्रैमासिक विवरणी में घोषित विवरण से भिन्नता होने पर कारण का उल्लेख किया जाए।

अनुलग्नक-3

खरीद के वार्षिक आवर्त पर कर का आगणन:

क्र0सं0	वस्तु का नाम	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
			योग	

अनुलग्नक-4

माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के मामले में वार्षिक करयोग्य आवर्त का आँगणन

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1-	सकल आवर्त	
2-	घटाईये : यदि सकल आवर्त में सम्मिलित है :	
(i)	किसी करमुक्त वस्तु के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली धनराशि	
(ii)	ऐसे हस्तांतरण के उपरान्त उपयोगकर्ता व्यक्ति द्वारा वस्तु में किसी नुकसान होने या भुगतान में व्यतिक्रम किये जाने पर अर्थदण्ड, क्षति की ऐवज में प्राप्त होने वाली धनराशि	
(iii)	किसी उद्देश्य के लिए वस्तु के प्रयोग का अधिकार हस्तांतरण के अनुबन्ध या सहमति के फलस्वरुप वस्तु के हस्तांतरण , परिदान या आपूर्ति की ऐवज में पट्टेदार से पट्टाकर्ता को निम्न प्रकार की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि है --	
	(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान;	
	(दो) प्रान्त के बाहर बिक्री ; या	
	(तीन) भारत की सीमा के बाहर निर्यात या भारत की सीमा के बाहर से आयात।	
(iv)	योग ((i+ii+iii)	
3-	करयोग्य आवर्त (1-घ)	

अनुलग्नक-5

उत्तरप्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अधीन माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के मामले में कर का आंगणन

क्र0सं0	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
	योग			

अनुलग्नक-6

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के मामले में कर का आंगणन

क्र0सं0	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
	योग			

अनुलग्नक-7

कार्य संविदा के मामले में वार्षिक करयोग्य आवर्त का आंगणन

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1-	प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि	
2-	घटाये यदि सकल आवर्त में सम्मिलित है :-	
(i)	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में खपत हो गयी वस्तुओं, जिनका अंतरण सम्पत्ति के रूप में नहीं हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ;	
(ii)	करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियाँ ;	
(iii)	सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गई मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य भाड़ा की समस्त धनराशियाँ ;	

(iv)	सेवा और मजदूरी एवं इस पर लाभ की समस्त धनराशियाँ;	
(v)	संकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रूप में अन्तरण अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में हुआ है ;	
(vi)	संकर्म कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रूप में अन्तरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात में या भारत की सीमा के भीतर आयात में हुआ है ;	
(vii)	उन समस्त वस्तुओं का मूल्य जिसका बिक्री बिक्री के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रूप में बाहर हुआ है।	
(viii)	संकर्म कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयं दायी, के द्वारा प्रान्त के भीतर से खरीदे गये माल वैट गुड्स की समस्त धनराशियाँ ;	
(ix)	व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यापारी से खरीदी गयी माल वैट वस्तुओं के मूल्य की समस्त धनराशि;	
(x)	संविदा के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से संबंधित व्यवसाय का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्चे, एवं इन पर लाभ की धनराशि ;	
(xi)	कार्य संविदा के निष्पादन में उप-संविदाकार को अदा की गयी धनराशि, जहां उप-संविदाकार के कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें यह सत्यापित हो कि :- (i) अधिनियम के अधीन उप-संविदाकार पंजीकृत व्यवहारी है। (ii) उप-संविदाकार द्वारा प्रासंगिक कर अवधि के विवरणी में आवर्त को घोषित किया है तथा अधिनियम के अधीन कर जमा किया है।	
3	योग :(2 का i से xi)	
4	उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अधीन शुद्ध करयोग्य आवर्त (1 - 3)	

नोट : मासिक त्रैमासिक विवरणी में प्रदर्शित विवरण से भिन्नता होने पर कारण दिया जावे।

अनुलग्नक-8

उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संविदा में बिक्री के आवर्त पर कर का आगणन

क्रमांक	वस्तु का नाम	बिक्री का करयोग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
	योग :			

अनुलग्नक-9

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संविदा में बिक्री के आवर्त पर कर का आगणन

क्रमांक	वस्तु का नाम	आवर्त का विवरण	आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
	योग :				

अनुलग्नक-10

वर्ष में देय सम्पूर्ण कर :

क्रमांक	विवरण	धनराशि
i	खरीद के आवर्त पर कर	
ii	प्रान्त में कार्य संविदा के निष्पादन में माल के स्वामित्व के अन्तरण के आवर्त पर कर	
iii	प्रान्त में किसी माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के आवर्त पर कर	
iv	किसी अन्य प्रान्तीय बिक्री पर कर	
v	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरप्रान्तीय बिक्री के फलस्वरूप कार्य संविदा के निष्पादन में माल के स्वामित्व अन्तरण के आवर्त पर कर	
vi	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अन्तरप्रान्तीय बिक्री के फलस्वरूप किसी माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के आवर्त पर कर	
vii	किसी अन्य केन्द्रीय बिक्री पर कर	
viii	उप संविदाकार से स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि	
ix	समायोजन की राशि	
	योग :	

अनुलग्नक - 11

समाधान धनराशि का विवरण :

क्र0 सं0	कार्य संविदा की प्रकृति	संविदा संख्या एवं दिनांक	प्राप्त या प्राप्त होने वाली सकल धनराशि	अनुमन्य कटौती	समाधान योग्य धनराशि	समाधान की दर	समाधान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
i-							
ii-							
iii-							
iv-							
v-							
vi-							
vii-							
viii-							

अनुलग्नक -12

आई0टी0सी0 का विवरण

क्र0सं0	विवरण		धनराशि
i-	गत वर्ष से अग्रेनित आई0टी0सी0		
ii-	वर्ष के दौरान अर्जित आई0टी0सी0	(क) आई0टी0सी0 की सकल धनराशि	
		(ख) उत्क्रमिकत आई.0टी0सी0 की धनराशि	
		(ग) शुद्ध अर्जित आई0टी0सी0की धनराशि (क-ख)	
iii-	सकल अनुमन्य आई0टी0सी0 (i + ii)		
iv-	चालु वर्ष के लिए देय केन्द्रीय बिक्रीकर के विरुद्ध समायोजित आई0टी0सी0		
v-	उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत चालु वर्ष के लिए देय कर के विरुद्ध समायोजित आई0टी0सी0		
vi-	उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया के विरुद्ध समायोजित आई0टी0सी0		
vii-	अन्य देयों के विरुद्ध समायोजित आई0टी0सी0		
viii-	धारा-15 (धारा 41 के अतिरिक्त) के अन्तर्गत वापस आई0टी0सी0		
ix-	योग (iv + v + vi + vii + viii)		
x-	अवशेष आई0टी0सी0		
xi-	अगले वर्ष के लिए अग्रेनित आई0टी0सी0		

अनुलग्नक--13

स्रोत पर कटौती प्रमाण पत्र द्वारा जमा का विवरण

क्र0सं0	फार्म -31 की संख्या	स्रोत पर कटौती की धनराशि	माह का नाम	जमा धनराशि	जमा का दिनांक	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक--14

फार्म XXXIII-A में समायोजन का विवरण

क्र0सं0	माह जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	वर्ष जिससे समायोजन किया गया	फार्म XXXIII-A की आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5

अनुलग्नक-15

कोषागार / बैंक में कर अवधि के विवरण के साथ जमा का विवरण

क्र०सं०	माह	धनराशि	ट्रेजरी चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					
	योग					

अनुलग्नक-16

कुल जमा का योग

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	2	3
1	बैंक या कोषागार में सीधे जमा	
2	स्रोत पर की गयी कटौती (फार्म XXXI)	
3	वापसी के समायोजन से जमा	
	योग	

अनुलग्नक-17

शुद्ध देय कर तथा मांग या वापसी :

अधिनियम का नाम	देय कर	समायोजित आई०टी०सी०	शुद्ध देय कर	जमा कर / समायोजित / टी.डी.एस.	मांग / वापसी
1	2	3	4	5	6
उ०प्र०मूल्य संवर्धित कर अधिनियम					

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति .... (अर्थात- स्वामी, निदेशक, साझीदार जैसा कि नियम 32 (6) में दिया गया है), एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण पत्र में दिए गए विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक : साझीदार/ स्वामी / कर्ता आदि का नाम और हस्ताक्षर

स्थान : प्रास्थिति

व्यवहारी का नाम :

नोट : 1- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32(6) में अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपर्युक्त विवरण हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2- यदि किसी प्रारूप या तालिका में उपलब्ध जगह पर्याप्त न हो तो सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग शीट पर प्रस्तुत की जा सकती है।

अनुलग्नक- (क)

प्रयुक्त प्रमाण पत्र प्रपत्र - XXXI का विवरण

क्र0सं0	प्रमाण पत्र XXXI की संख्या	उप संविदाकार का नाम एवं पता	उपसंविदाकार का टिन	अदा की गयी सकल धनराशि	स्रोत पर की गयी कटौती	स्रोत पर की गयी कटौती की जमा धनराशि	बैंक/कोषागार में जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक (ख)

फार्म - XXXVIII का विवरण

क्र0सं0	विक्रेता/प्रेषक का नाम	फार्म - XXXVIII की संख्या	बीजक/बिल/चालान की संख्या व दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6

अनुलग्नक (ग)

फार्म - सी/एफ, जो लागू हो, का विवरण

क्र0सं0	विक्रेता/प्रेषक का नाम	फार्म - सी/फार्म एफ की संख्या	बीजक/बिल/चालान की संख्या व दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव ।